



संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट Abridged Annual Report 2012-13

निदेशकगण: (31.03.2013 को) BOARD OF DIRECTORS (as on 31.3.2013)

श्री एम नरेन्द्र

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.11.2010 से)

Shri M Narendra

Chairman and Managing Director (from 01.11.2010)

श्री ए.के.बंसल

कार्यपालक निदेशक (01.09.2010 से)

Shri A K Bansal

Executive Director (from 01.09.2010)

श्री ए डी एम चावली

कार्यपालक निदेशक (28.12.2011 से)

Shri A D M Chavali

Executive Director (from 28.12.2011)

डॉ. आलोक पांडे

भारत सरकार के नामिती निदेशक (22.07.2011 से)

Dr Alok Pande

GOI Nominee Director (from 22.07.2011)

श्री एस वी राघवन

भा.रि. बैंक के नामिती निदेशक (30.07.2010 से)

Shri S V Raghavan

RBI Nominee Director (from 30.07.2010)

श्री श्रीधर लाल लखोटिया

कामगार कर्मचारी निदेशक (09.08.2010 से)

Shri Sridhar Lal Lakhotia

Workmen Employee Director (from 09.08.2010)

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल

अंशकालिक गैर कार्यालयी निदेशक (01.11.2011 से)

Shri Niranjana Kumar Agarwal

Part time non official Director (from 01.11.2011)

श्री अजीत वसन्त सरदेसाई

शेयरधारक निदेशक (08.12.2011 से)

Shri Ajit Vasant Sardesai

Shareholder Director (from 08.12.2011)

प्रो. एस सडगोपन

शेयरधारक निदेशक (08.12.2011 से)

Prof S Sadagopan

Shareholder Director (from 08.12.2011)

श्री जी आर गाँधी

महा प्रबंधक एवं बोर्ड सचिव
(01.03.2012 से 31.10.2012 तक)

Shri G R Gandhi

General Manager & Board Secretary
(from 01.3.2012 to 31.10.2012)

श्री एस एन मिश्र

मुख्य महा प्रबंधक एवं बोर्ड सचिव (01.11.2012 से)

Shri S N Mishra

Chief General Manager &
Board Secretary (from 01.11.2012)

लेखा परीक्षक

1. एस आर मोहन एण्ड कं.
हैदराबाद
2. बदरी, मधुसूदन एवं
श्रीनिवासन, बंगलूर
3. बी त्यागराजन एण्ड कं.,
चेन्नै
4. शंकर एण्ड मूर्ति,
त्रिवेंद्रम
5. पी.आर.मेहरा एण्ड कं.,
नई दिल्ली
6. दास खन्ना एण्ड कं.,
लुधियाना

AUDITORS

1. S. R. Mohan & Co.,
Hyderabad
2. Badari, Madusudhan &
Srinivasan, Bangalore
3. B.Thiagarajan & Co,
Chennai
4. Sankar & Moorthy,
Trivandrum
5. P R Mehra & Co,
New Delhi
6. Dass Khanna & Co,
Ludhiana

रजिस्ट्रार एण्ड शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कापोरिट सर्विसेज लिमिटेड
(यूनिट-आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग,
प्रथम तल, नं.1 क्लब हाउस रोड
चेन्नई-600 002
दूरभाष:044-28460390 (छ: लाइनों)
28460084, 28460395
फैक्स : 044-28460129
ई-मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1, Club House Road,
Chennai - 600 002
Tel : 044 - 28460390 (Six Lines),
28460084, 28460395
Fax: 044 - 28460129
e mail: cameo@cameoindia.com



संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट Abridged Annual Report 2012-13

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.	विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से From the Chairman's desk	3 3	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	96 97
शेयरधारकों को सूचना Notice to Shareholders	7 7	संक्षिप्त वार्षिक लेखे Abridged Annual Accounts	98 99
एक झलक में At a Glance	16 17	नकदी प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	146 147
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	18 19	लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	172 173
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण Management Discussion and Analysis	24 25	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	177 178
वर्ष 2012-13 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the Year 2012-13	52 53	उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	177 178
		ईसीएस अधिदेश फार्म ECS Mandate Form	180 181

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट में हिन्दी रूपांतरण के तहत कोई विसंगति पायी जाती है तो अंग्रेजी रूपांतरण सही माना जायेगा)
(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेंडर

Financial Calendar

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च 2013 तक के लिए		For the Financial year 1st April, 2012 to 31st March 2013	
लेखा बंदी की तारीखें	22. 06.2013 (शनिवार) से 28.06.2013 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं)	Book Closure Dates	22.06.2013 (Saturday) to 28.06.2013(Friday) (both days inclusive)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	29.05.2013 से 03.06.2013 तक	Posting of Annual Report	29.05.2013 to 03.06.2013
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	22.06.2013 (शनिवार) 14.00 बजे तक	Last date for Receipt of Proxy Forms	22.06.2013 (Saturday) 14:00 hrs
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	28.06.2013 (शुक्रवार) सुबह 10.00 बजे	Date of AGM	28.06.2013 (Friday) 10:00 A.M.
लाभांश की घोषणा	28.06.2013 (शुक्रवार)	Declaration of dividend	28.06.2013 (Friday)
लाभांश अदायगी तारीख	16.07.2013 को या उपरान्त	Dividend Payment Date	On or after 16.07.2013
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की	16.07.2013 को या उसके बाद	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants :	On or after 16.07.2013



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से पत्र LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

(एम नरेन्द्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri.M.NARENDRA
Chairman and Managing Director

प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2012-13 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। वर्ष के दौरान बैंक की विशिष्टताओं तथा निष्पादन सूचकांकों को आपके साथ बाँटना चाहूँगा।

आर्थिक परिदृश्य :-

इस वर्ष के दौरान सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में आई गिरावट के कारण बैंक को धीमे विकास के वातावरण में काम करना पड़ रहा है। 31.03.2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आर्थिक विकास, 31.03.2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2011 के आर्थिक विकास 6.2% से घटकर 5% हो गया। कृषि एवं सेवा क्षेत्र का कार्य निष्पादन भली प्रकार चल रहा है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में विकास धीमी गति से हो रहा है। हालांकि, यह आशा की जाती है कि आर्थिक गति को पुनः विकसित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों से आने वाले वर्ष के दौरान कारोबार तथा ग्राहकों के विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

कार्य निष्पादन की विशिष्टताएँ - 2012-13

इस वर्ष के दौरान बैंक का कार्य निष्पादन समीक्षाधीन है :

कारोबार के मापदंड	31.03.2013	31.03.2012	रकम (₹. करोड़ में)	
			वृद्धि 2012 -13	
			रकम	%
वैश्विक कारोबार	3,66,501	3,21,707	44,794	13.92
वैश्विक जमा	2,02,135	1,78,434	23,701	13.28
वैश्विक अग्रिम	1,64,366	1,43,273	21,093	14.72
परिचालित लाभ	3,817	3,534	283	8.00

31.03.2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के निवल लाभ ₹. 1,050 करोड़ के प्रति 31.03.2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैंक का निवल लाभ ₹. 567.23 करोड़ रहा। यह गिरावट एनपीए के संबंध में ब्याज रिवर्सल लगभग ₹.508 करोड़ के पुनर्संचित खाते, एनपीए तथा लगभग ₹. 691 करोड़ के पुनर्संचित खातों पर एनपीए पर बढ़ाए गए प्रावधान के कारण है।

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2012-13. I would like to share with you the highlights and performance indicators of the Bank during the year.

Economic Scenario:-

Bank has to operate in an environment of slower growth caused by slump in general economic conditions throughout the year. The economic growth during FY 2012 ended 31.03.2013 decelerated to 5% from 6.2% in the FY 2011 ended 31.03.2012. Agriculture and Services Sector are performing well while there is slow growth in the manufacturing sector. However, steps taken by the Government to put the economy back on growth track are expected to improve business and consumer confidence during the coming year.

Performance Highlights – 2012-13

The performance of the Bank during the year under review:

Business Parameters	31.03.2013	31.03.2012	Amount (₹. in Crores)	
			Growth 2012-13	
			Amount	%
Global Business	3,66,501	3,21,707	44,794	13.92
Global deposits	2,02,135	1,78,434	23,701	13.28
Global Advances	1,64,366	1,43,273	21,093	14.72
Operating Profit	3,817	3,534	283	8.00

Net Profit of the Bank for the year ended 31.03.2013 stood at ₹. 567.23 crore against ₹. 1,050 Crore for the year ended 31.03.2012. This was lower due to interest reversal in respect of NPA and restructured Accounts by around ₹. 508 crore and increased provision on NPA and Restructured Accounts by ₹. 691 crore.



बैंक का निवल निवेश 31.03.2012 को ₹. 55,566 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को ₹.61,417 करोड़ हो गया।

शाखाविस्तार :-

वर्ष के दौरान बैंक ने पूरे देश में 273 शाखाएँ खोलीं, 2012-13 के दौरान खोली गईं। 273 शाखाओं में से, 188 शाखाएँ (68.86%) ग्रामीण और अर्द्धशहरी केन्द्रों में हैं, जिनमें से 92 शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में हैं। इन नई शाखाओं ने बैंक को नए रिश्ते बढ़ाने एवं अपनी उपस्थिति और नेटवर्क को और व्यापक रूप से फैलाने में सक्षम बनाया है। नई शाखाओं में औसत कासा लगभग 48% है।

अग्रिम पोर्टफोलियो को बढ़ाने के विचार से इस वर्ष 5 विशिष्ट बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएँ, 5 विशिष्ट मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ, 4 विशिष्ट एसएमई शाखाएँ और 22 विशिष्ट कृषि आधार शाखाएँ खोली गईं।

31.03.2013 को, बैंक की 2902 देशी शाखाएँ थीं, जिनमें से 849 ग्रामीण शाखाएँ (29.26%), 808 अर्द्धशहरी शाखाएँ (27.84%), 649 शहरी शाखाएँ (22.36%) और 596 महानगरीय शाखाएँ (20.54%) थीं। इस वर्ष के दौरान बैंक ने 50.08 लाख नए ग्राहक जोड़े।

31.03.2013 को पूरे देश में बैंक के 1883 एटीएम हैं, जिनमें से 1164 ऑनसाइट हैं, 719 ऑफसाइट एटीएम में से 44 विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर हैं। बैंक एनपीसीआइ और विज्ञा का सदस्य है।

अन्य विशिष्टताएँ :-

- समायोजित निवल बैंक ऋण से प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम का प्रतिशत भा.रि.बैंक की 40% की शर्तों के प्रति 40.03% है।
- समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के कृषि ऋण पोर्टफोलियो में ₹.19,416 पर ₹. 3,977 (20.48%) बढ़कर ₹. 23,393 हो गया है। बैंक के कृषि अग्रिम और समायोजित निवल बैंक ऋण का अनुपात 18.34% रहा, जो मानक 18% से अधिक था। इस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने हेतु बैंक ने कई कदम उठाए हैं।
- 31 मार्च 2013 को बैंक के एसएमई क्षेत्र का कुल एक्सपोजर 31.03.2012 को ₹. 16,600 करोड़ के प्रति 20.33% का विकास दर्ज करते हुए ₹.19,976 करोड़ रहा।
- प्रति कर्मचारी कारोबार 31.03.2012 को ₹. 11.76 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को ₹. 12.88 करोड़ हो गया।
- सकल एनपीए 31.03.2012 को ₹. 3,920.07 करोड़ के प्रति 31.03.2013 को ₹. 6,607.96 करोड़ रहा एवं प्रतिशत में, 31.03.2012 को 2.74% के प्रति 31.03.2013 को सकल एनपीए का अनुपात 4.02% था। अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण सकल एनपीए का स्तर बढ़ है, लेकिन फिर भी वह औद्योगिक औसत से कम है।
- निवल एनपीए 31.03.2012 को ₹. 1,907.44 करोड़ की तुलना में 31.03.2013 को ₹. 4,027.21 करोड़ रहा। प्रतिशतता में निवल एनपीए अनुपात 2.50% और 1.35% क्रमशः रहा।
- वर्ष 2012-13 के लिए निदेशक मंडल द्वारा 20% के लाभांश की संस्तुति की गई है।
- 31.03.2013 को प्रावधान कवरेज अनुपात 58.89% रहा।

Net investments of the Bank increased to ₹. 61,417 crore as on 31.03.2013 from ₹. 55,566 crore as on 31.03.2012.

Branch Expansion:-

During the year, the Bank opened 273 branches across the country. Out of 273 branches opened during 2012-13, 188 branches (68.86%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 92 branches are located in Unbanked Rural Centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationships and spread our presence and network farther and wider. The average CASA in the new branches is about 48%.

With a view to stepping up vertical growth in advances portfolio, 5 Specialized Large Corporate Branches, 5 Specialised Mid Corporate Branches, 4 Specialised SME branches, and 22 Specialised Agricultural Credit Branches were opened during the year.

As on 31.03.2013, the Bank had 2902 domestic branches, comprising of 849 rural branches (29.26%), 808 Semi Urban branches (27.84%), 649 Urban branches (22.36 %) and 596 Metropolitan branches (20.54%). The Bank added 50.08 lacs new relationships during the year.

As on 31.03.2013, Bank has 1883 ATMs spread across the country, of which 1164 are onsite, 719 ATMs are off-site of which 44 are at various Railway Stations. The Bank is a member of NPCI and VISA consortiums.

Other Highlights:-

- The percentage of **priority sector advances** to Adjusted Net Bank Credit stood at 40.03% as against RBI norms of 40%.
- **The agricultural credit** portfolio of the Bank registered a growth of ₹. 3,977 crore (20.48%) from ₹. 19,416 crore to ₹. 23,393 crore in the year under review. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 18.34% and exceeded the 18% norm. The Bank took a number of initiatives to increase the flow of credit to this sector.
- The total exposure of the Bank as on March 31, 2013 to **SME sector** stood at Rs. 19,976 crore as against Rs. 16,600 crore as on 31.03.2012 registering a growth of 20.33%.
- **Business per employee** increased from ₹. 11.76 crore as on 31.03.2012 to ₹. 12.88 crore as on 31.03.2013.
- **Gross NPA** stood at ₹. 6,607.96 crore as on 31.03.2013 as against ₹. 3,920.07 crore as on 31.03.2012 and in percentage terms, the Gross NPA ratio was 4.02% as on 31.03.2013 as against 2.74% as on 31.03.2012. The gross NPA has gone up on account of downturn in economy, but it is still lower than the Industrial Average.
- **Net NPA** stood at ₹. 4,027.21 crore as on 31.03.2013 as against ₹. 1,907.44 crore as on 31.03.2012. In percentage terms, the Net NPA ratio was 2.50% and 1.35% respectively.
- **A dividend** of 20% has been recommended by the Board of Directors for the year 2012-13.
- **Provision Coverage Ratio** stood at 58.89% as on 31.03.2013.



➤ पूँजी पर्याप्तता अनुपात

अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ बैंक पहले ही भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2008 से नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) में बढ़ चुका है। बेसल II मानदंडों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2013 को 11.85% रहा, जो कि भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित 9% की अपेक्षा से बहुत ऊपर है।

पैरा बैंकिंग :

पैरा बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक का मुख्य जोर बीमा उत्पादों के विपणन, स्वर्ण सिक्कों की बिक्री और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर है। बैंक गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण हेतु यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी लि.(गैर जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम कंपनी) के साथ अपने कॉर्पोरेट एजेंसी को बनाए हुए है।

लाभप्रदता को सुधारने के उपाय

लाभप्रदता को सुधारने के लिए प्रयासों में बैंक का कासा अनुपात सुधारने के साथ सभी पात्र खातों में सरफासी अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाई और एकबारगी निपटान, वसूली केम्प / लोक अदालतों का आयोजन बार-बार करके सघन वसूली उपायों के जरिए बड़े पैमाने पर एन पी ए को घटाने पर जोर है।

विदेशी परिचालन :-

हमारे विदेशी परिचालनों के संबंध में, हमारी छह पूर्ण परिचालित विदेशी शाखाएँ हैं - दो हांगकांग में और सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, और थाइलैंड में एक-एक शाखाएँ हैं। बून ले और सारंगून, सिंगापुर में विप्रेषण केन्द्र स्थापित है तथा श्रीलंका में विस्तार कार्डटर स्थापित हैं।

बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय गुआंगझौ (चीन), क्वालालम्पुर (मलेशिया), होचि मिन सिटी (वियतनाम) और अलाकरामा (दुबई) में स्थापित है तथा दुबई, वियतनाम और चीन के प्रतिनिधि कार्यालयों को पूर्ण रूप से परिचालित शाखा में उन्नयन हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की प्रतीक्षा में है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक को निम्न विदेशी केन्द्रों पर विदेशी संयुक्त उद्यम / पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी खोलने की सुविधा प्रदान की है। 1 थाइलैंड 2 वियतनाम 3 मंगोलिया 4 श्रीलंका 5 कोरिया गणराज्य।

हमारे बैंक ने मलेशिया में बैंकिंग सहायक कंपनी खोलने हेतु बैंक ऑफ बडौदा और आंध्रा बैंक के साथ संयुक्त उद्यम करार किया है। 13.08.2010 को मलेशिया में “इंडिया इंटरेशनल बैंक (मलेशिया) लि.” बीएचडी के नाम से एक संयुक्त उद्यम जुलाई 2012 से कार्य आरम्भ किया है।

फरवरी 2013 के दौरान, बैंक ने सुखुम्विट, बैंकाक में एक शाखा और कोलंबो में एफसीबीयू खोलने के लिए भा.रि.बैंक से अनुमति प्राप्त की है।

आइओबी प्राप्त पुरस्कार

- 2012 के लिए, एमएसएमई ऋण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से आइओबी को नवाजा गया और एमएसएमई ऋण (दूसरा स्थान) में उत्कृष्टता के लिए, अ.व.प्र.नि. ने महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। बैंक को दक्षिण अंचल स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमइजीपी) के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।
- बैंक को वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस से 6 वर्गों में रेसपांसिबल अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ है जिनमें बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट सर्विस इनिसियेटिव

➤ Capital Adequacy Ratio

The Bank with an International presence has already moved to New Capital Adequacy Framework (Basel II) from 31.03.2008 in line with RBI guidelines. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2013 stood at 11.85% as per Basel II norms which is well above the requirement of 9% prescribed by RBI.

Para banking:-

In the area of Para-banking, Bank is concentrating on marketing of insurance products, sale of gold coins and IT enabled products. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into with Universal Sampo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company) for distribution of non-life insurance products.

Steps to improve Profitability:-

As part of the efforts to improve profitability, bank lays renewed emphasis on improving the CASA ratio, reduction of NPAs to a large extent through intensive recovery measures like conducting frequent Lok Adalats / Recovery Camps, One-Time Settlements and resorting to legal action under SARFAESI Act in all eligible accounts.

Overseas Operations:-

As regards our overseas operations, we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. Remittance Centers function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Kuala Lumpur (Malaysia), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama, (Dubai) and Bank is awaiting RBI permission for upgrading its representative offices at Dubai, Vietnam and China into full fledged branches.

Ministry of Finance, Government of India has allocated the following overseas centres for opening of overseas JV/WOS by the Bank. 1. Thailand, 2. Vietnam, 3. Mongolia, 4. Sri Lanka and 5. Republic of Korea.

Our Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The Joint venture has been duly incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name “**India International Bank (Malaysia) Ltd.**” BHD and the banking Joint Venture has started functioning from July 2012.

During February 2013, Bank has obtained RBI permission for opening a branch at Sukhumvit, Bangkok and for opening a FCBU in Colombo.

Awards won by IOB:-

- National Award for MSME lending for 2012 was awarded to the Bank and CMD received the National Award for excellence in MSME lending (2nd Place) from His Excellency, The President of India, Shri. Pranab Mukherjee. The Bank was also conferred National Award for its outstanding performance at South Zonal level for implementation of Prime Ministers' Employment Guarantee Programme (PMEGP).
- Bank has bagged Responsible Business Awards 2012 from World Education Congress in 6 categories namely



अवार्ड, आउटस्टैंडिंग बैंकिंग लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट सीएसआर प्रेक्टिस अवार्ड, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन्नोवेशन एचआर प्रेक्टिसेस अवार्ड, बेस्ट सीक्योरिटी इनिशिएटिव अवार्ड आदि शामिल हैं।

- बैंक को "द संडे स्टैंडर्ड फिनविज 2012" से वृहत बैंक वर्ग में बेस्ट इण्डियन बैंकर और बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकर अवार्ड प्राप्त हुआ है। बैंक को स्कोच डिजिटल अवार्ड्स 2012 में गोल्ड अवार्ड इन बिजनेस इंटेलेजीजेंस और डाटा वेयरहाउसिंग से नवाजा गया।
- बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री एम नरेन्द्र को जिन्दल ग्लोबल बिजनेस स्कूल द्वारा "द जेजीबीएस टॉप रेन्कर्स एक्सीलेन्सी विजीनेरी लीडरशिप अवार्ड" से और 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 14 वें राष्ट्रीय प्रबंध सम्मेलन के अवसर पर टॉप रेन्कर्स अवार्ड से नवाजा गया।
- 5 जनवरी 2013 को बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए के बंसल ने "टर्निंग द टाइड" परियोजना के तहत बसंत नगर, चेन्नै के मछुआरों के वित्तीय समावेशन की उन्नति में बैंक के अनुकरणीय योगदान के लिए "द स्कोच फाइनेन्सियल इनक्लुजन अवार्ड" प्राप्त किया।

हमारी प्रतिबद्धता

एटीएम सहित शाखाओं का वृहत नेटवर्क, सक्षम ग्राहक सेवा और समर्पित मानव संसाधन, बैंक को शक्ति प्रदान करता है जिससे बैंक वर्तमान संबंधों की मजबूती से बनाए रखते हुए, नए अवसर उत्पन्न करके नई उँचाईयों को छूने में सक्षम होगा।

अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, और कर्मचारियों के मूल्यों व लाभों में सुधार करने और अपने मार्केट शेयर के विस्तार के क्रम में बैंक उद्योग में प्रतियोगी एवं चुनौतीपूर्ण माहौल के दौरान अपनी शक्तियों और योजनाओं प्रभावी प्रयोग करके बहुमुखी वृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

आभारोक्ति:

मैं इस अवसर पर बोर्ड सदस्यों भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के मूल्यवान सहयोग व दिशानिर्देशों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे सभी शेयर धारकों को हम पर किए गए विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे सभी ग्राहकों के प्रति भी उनके लगातार सहयोग व समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। बैंक को नई उँचाईयों पर पहुँचाने के लिए और कार्यनिष्पादन करने में सक्षम बनाने हेतु स्टाफ सदस्यों द्वारा समर्पित और प्रतिबद्ध योगदान की मैं प्रशंसा करता हूँ।

हमारे शेयरधारकों का मूल्यवान समर्थन और बैंक पर जताया गया उनका भरोसा हमें नए उत्साह से कार्य करने और साल दर साल बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा और बैंक सभी हितैशियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। मैं आपकी प्रतिबद्धता व योगदान का ऋणी हूँ।

सादर,

भवदीय,

(एम नरेन्द्र)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Best Bank of the year Award, Best Service Initiative Awards, Outstanding Banking Leader of the year Award, Best CSR Practices Award, Best organization with Innovation HR Practices Award, Best Security Initiative Award.

- Bank has received Best Indian Banker and Best Public Sector Banker awards in the large bank category from "The Sunday Standard FINWIZ 2012". Bank has been conferred with Gold Award in Business Intelligence and Data warehousing in the SKOCH Digital Awards 2012.
- Bank's Chairman and Managing Director Shri. M. Narendra was awarded the JGBS Top Rankers Excellence Visionary Leadership Award by Jindal Global Business School and Top Rankers on the occasion of the 14th National Management Summit in New Delhi during January 2013.
- On 5th January 2013, Bank's Executive Director Shri. A.K. Bansal received the Skoch Financial Inclusion Award for the Bank's exemplary work in promotion of Financial Inclusion among the Fishermen of Besant Nagar, Chennai under the project "Turning the Tide".

Our Commitment:-

The large network of branches along with ATMs, efficient customer Service and dedicated human resources are great source of strength to the Bank which would enable the bank to reach new heights in opening up new opportunities besides strengthening the existing relationships.

The bank resolves to achieve versatile growth by making effective use of the strength and strategies amidst the competitive and challenging environment in the industry in order to expand our market share and to improve values and returns to our customers, shareholders and employees.

Acknowledgements:-

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by our staff members for enabling the Bank to scale new heights and performance.

The valuable support of our shareholders and the trust they repose on the bank will inspire us to work with renewed vigour to produce better results year after year and to meet the aspirations of all the stakeholders of the bank. I am indebted to your commitment and goodwill.

With warm regards,

Yours sincerely,

M NARENDRA

Chairman and Managing Director



शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 28 जून, 2013 को पूर्वाह्न 10.00 बजे रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी।

1. 31 मार्च, 2013 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. आगे और शेयरों को जारी करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि सही समझा गया तो संशोधन रहित या फिर

संशोधन सहित उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु :

“संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरीयों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में हैं - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आई सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, , वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **“बोर्ड” कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में ईक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय हैं, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमन किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज / या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 41,30,76,921 (इकतालीस करोड़ तीस लाख छहत्तर हजार नौ सौ इक्कीस) की संख्या और रु.413,07,69,210/- (रुपये चार सौ तेरह करोड़ सात लाख उन्हत्तर हजार दो सौ दस मात्र) की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि रु.924.0953 करोड़ की**

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 28th June 2013 at 10.00 A.M. at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006, to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2013, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2012-13.
3. To Further issue of shares:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution.

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 41,30,76,921 (Forty One Crore Thirty Lakhs Seventy Six Thousand Nine Hundred and Twenty One only) and aggregating to not more than Rs. 413,07,69,210/- (Rupees Four Hundred and Thirteen Crore Seven Lac Sixty Nine Thousand two Hundred and Ten only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 924.0953 crore amounts to Rs.1337.1722 crore within the total authorized capital of the bank Rs.3000 crore, being the ceiling in the



विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.3000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी में रु.1337.1722 करोड़ की होगी, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ई गई प्राधिकृत पूंजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूंजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।”

यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और/या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, **सेबी** (पूँजी एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का निर्गम) विनियमन, 2009 (“**आइसीडीआर विनियमन**”) और **भा.रि.बैं.**, **सेबी** द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसे पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो।”

यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत **आइसीडीआर विनियमनों**, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन **आइसीडीआर विनियमनों** के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।”

आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बट्टकों) के विनियमन 2003 के प्रावधानों, **आइसीडीआर विनियमन** के प्रावधानों, विदेशी विनियम अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति व प्रवर्तन विभाग, (डीआईपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका “समुचित प्राधिकारीगण” के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/या मंजूरीयों, की शर्त पर और उन शर्तों

Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank”.

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, or such other issue which may be provided by applicable laws preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval,



पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, इक्विटी शेयरों या किन्हीं भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक भागों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते हैं या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की इक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबीयों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और जो स्थानन दस्तावेज और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान हैं, निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।”

यह भी संकल्प किया गया कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यतागत संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।”

यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा।”

यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं, ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरीयों, आबंटन और तदनुसार लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा।”

यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नये इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, को आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समवेत सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा।”

“यह भी संकल्प किया गया कि कथित नये इक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयरों और बँडकों) के विनियमन 2003 के संशोधित रूप में अनुसार जारी किये जाएंगे तथा ये शेयर सभी दृष्टि से ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश, यदि कोई हो, सहित बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।”

“यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन या निर्गम हेतु प्रभाव देने के लिए सार्वजनिक निर्गम के निबंधनों का निर्धारण करने, निवेशकों वह प्रवर्ग सहित जिन्हें प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानेवाली हैं, हर बार आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि मंडल के विवेकाधिकार में जैसे उचित समझें उन कार्यों, मामलों और विषयों को करने और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक, उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा

consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board”.

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act”.

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration”.

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions,



निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड़, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्यवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए।”

“यह भी संकल्प किया गया कि ईक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित अग्रणी प्रबंधकों/ई, बैंकर/ई, अधोलेखक/ई, डिपॉजिटरीस और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में ऐसे अभिकरणों के साथ ऐसे सभी प्रबंधन, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए।”

“यह भी संकल्प किया गया कि उपर्युक्त विषय को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों, हामिदारों, सलाहकारों और / या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके, निर्गम(ई) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या रद्दी पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर, परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और / या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने, जैसे मंडल उचित समझे, के लिए मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए।”

“यह भी संकल्प किया गया कि शेयर / प्रतिभूति जिनको सबस्क्राइब नहीं किया गया है, उन्हें मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे और कानून द्वारा जैसे अनुमत है, उसके अनुसार निपटाया जाए।”

“यह भी संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावित करने के उद्देश्य में, मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे वैसे उन कार्यों, मामलों और विषयों को करे और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वह आवश्यक, उचित या वांछनीय समझे और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में कोई संदेह, कठिनाई या प्रश्न हो तो संबंधित कार्यों, विषयों को समाप्त या निष्पादित करने के लिए आगे, बिना शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के, और ऐसा समझकर कि संकल्प के प्राधिकार के रूप में शेयरधारक ने अपना अनुमोदन दिया है, इनके निपटान के लिए मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए।”

“यह भी संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोर्ड को दिए गए सभी अधिकारों या किसी भी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक (ई) को प्रदान करने के लिए मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए।”

निदेशक मंडल की ओर से

additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

चेन्नै

29.04.2013

(एम नरेन्द्र)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Chennai

29.04.2013

(M NARENDRA)

Chairman and Managing Director